The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 3 | March 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रवर्तन: एक विधिक अध्ययन

डॉ० सन्तोष कुमार

असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, विधि संकाय,

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

ARTICLE DETAILS

Research Paper

नागरिकता, निष्ठा, अर्जन, सवैधानिकता, अवैध घुसपैठ।

ABSTRACT

भारत एक सम्पूर्णप्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र है। नागरिकता उसका आंतरिक सन्दर्भ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राष्ट्र की नागरिकता स्वेच्छ्या त्याग सकता है अथवा सम्बन्धित राष्ट्र की अनुमति से ग्रहण कर सकता है । नागरिकता का सन्दर्भ परिवर्तनशील है जबकि राष्ट्रीयता अपरिवर्तनशील प्रकृति की होती है। प्रत्येक राष्ट्र की नागरिकता प्रदान करने एवं निरस्त करने की अपनी विधि होती है। भारत में भी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया जिसमें अब तक कुल 9 बार संशोधन किए जा चुके हैं। नौवां संशोधन वर्ष 2019 में किया गया जिसे 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। इस संशोधन का राजनीतिक कारणों से व्यापक विरोध भी किया गया । प्रस्तुत लेख में नागरिकता सम्बन्धी विधि का परीक्षण करते हुए वर्तमान संशोधन के प्रभाव की विवेचना की गई है। किस कारण इसका व्यापक विरोध किया जा रहा है, इसके औचित्य का परीक्षण किया गया है।

परिचय - नागरिकता का अधिकार राज्य व उसके सदस्यों के मध्य एक संबंध को प्रतिबिंबित करता है । ऐब्बट के विधि शब्दकोश के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो किसी राज्य अथवा राष्ट्र का सदस्य है और उस राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है[1] ।संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता देने की बात कही गई है ।अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति

1 डॉ०मुरलीधर धर चतुर्वेदी, भारत का संविधान ,पृष्ठ 38

के लिए विधि बनाए।इसी अनुक्रम में भारतीय नागरिकता अधिनियम ,1955 बनाया गया है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने इस कानून में संशोधन किया, जिसे 11 मार्च 2024 को लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 से पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आने एवं रहने वाले हिंदू, ईसाई ,सिख ,जैन ,बौद्ध और पारसी लोगों को भारत की नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है[2]। वर्तमान में इसके लिए एक विशेष पोर्टल भी बनाया गया है। पात्र विस्थापितों को संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय के द्वारा स्थापित तन्त्र के द्वारा किये गए जांच के उपरांत इन्हें नागरिकता संबंधी अधिकार प्रदान किया जाएगा ।

नागरिकता कानून एवं उसकी विकास यात्रा

संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक होगा, यह संविधान स्वयं बताता है, लेकिन- संविधान लागू होने के बाद कौन नागरिक होगा, संविधान इसके निर्धारण का दायित्व संसद को देता है।भारतीय नागरिकता अधिनियम ,1955 में दिसम्बर 2019 में संशोधन किया गया जिसको लेकर देश में हिंसात्मक विरोध और प्रदर्शन हुए. नागरिकता कानून में यह नवां संशोधन है । इसके पूर्व इसमें आठ बार - 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन हो चुके हैं । भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है जिसमें मूलतः दो सरकारें - संघीय (केंद्र) सरकार और प्रांतीय (राज्य) सरकारें रही हैं। वर्ष 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से इसमें स्थानीय (पंचायत और नगरपालिका(सरकारें भी जुड़ गई और संघीय व्यवस्था त्रि-स्तरीय हो गई है, लेकिन संविधान केवल भारतीय नागरिकता को मान्यता देता है।नागरिकता के सम्बन्ध में संविधान की दो व्यवस्थाएं है - संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक माना जायेगा? एवं, संविधान लागू होने के बाद कौन नागरिक हो सकेगा? संसद ने संविधान के अनु०11- से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर 'भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955' बनाया जिसमें उन तरीकों का ज़िक्र है जिनसे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है । संविधान लागू होने के समय कौनकौन- भारत का नागरिक होगा, इस पर संविधान चार प्रकार की परिस्थितियों की कल्पना करता है-एक, जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत में निवास करता हो और -a. भारत में जन्मा हो, या b. जिसके पिता या माता भारत में जन्मे हों, या c. जो सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि से भारतीय भूभाग- में निवास कर रहा हो वह भारत का नागरिक होगा । दो, संविधान लागू होने के समय जो व्यक्ति पाकिस्तान से विस्थापित होकर आया हो -d. 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो (इस तिथि से परमिट व्यवस्था लागू हुई थी,(और.i जो स्वयं या जिसके माता- ,पिता दादादादी- या नानानानी- भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत परिभाषित भारतीय भूभाग- में जन्में हों, तथा ii. जो भारतीय भूभाग- में सामान्यतः रहता हो वह भारत का नागरिक होगा । e.यदि वह 19 जुलाई

2 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019

1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो (इस तिथि से परमिट व्यवस्था लागू हुई थी(तो उसे भारत का नागरिक माना जायेगा यदि i. भारत में सक्षम अधिकारी के समक्ष रजिस्टर्ड हो, और ii. आवेदन की तिथि से पूर्व 6 माह से भारत में निवास कर रहा हो। तीन, संविधान लागू होने के समय जो व्यक्ति पाकिस्तान जाकर पुनः लौट आया हो- जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन बाद में स्थायी वापसी या पुनर्वास का परमिट प्राप्त कर भारत लौट आया हो उसे भी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत लौट कर आने वाला नागरिक माना जायेगा । चार, संविधान लागू होने के समय विदेश में रहने वाले व्यक्ति -यदि कोई व्यक्ति, उसके माता,पिता- दादादादी- या नानानानी- भारत में जन्में हों, लेकिन संविधान लागू होने के समय वह विदेश में रह रहे हों, तो उसे भी भारत का नागरिक माना जायेगा, यदि वह भारतीय दूतावास या कॉन्सुलर ऑफिस में निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया द्वारा रजिस्टर करवा लेता है। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता देने और समाप्त करने के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को अनु०11- के अंतर्गत प्राप्त है । इसका प्रयोग कर संसद ने 1955 में नागरिकता कानून बनाया जिसमें दिसम्बर 2019 तक कुल 9 बार संशोधन किये जा चुके हैं।

नागरिकता अधिनियम,1955 पांच प्रकार - जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और भारत द्वारा किसी क्षेत्र के अधिग्रहण से भारत की नागरिकता प्रदान करने का विधान करता है,जिसकी विवेचना निम्नवत है-

1. **जन्म से**[3] -जो भी व्यक्ति संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद किंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व भारत में जन्मा हो वह भारत का नागरिक होगा,यदि वह 1 जुलाई 1987 या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने की तिथि अर्थात 3 दिसम्बर 2004 से पहले जन्मा हो किन्तु उसके जन्म के समय उसके पिता या माता में कोई एक भारतीय नागरिक अवश्य होना चाहिए ।यदि वह 3 दिसम्बर 2004 या उसके बाद जन्मा हो तो उसे भारत का नागरिक तभी माना जायेगा जब उसके जन्म के समय उसके माता व पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, या दोनों में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध रूप से भारत में न रह रहा हो।

2. **वंशानुगत** [4]- इसके अंतर्गत विदेश में जन्में व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान है।जो भी व्यक्ति संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी1950 या उसके बाद लेकिन 10 दिसम्बर 1992 के पूर्व विदेश में जन्मा हो, वह वंशानुगत आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उसका पिता भारतीय नागरिक हो। i. यदि उसका पिता भी वंशानुगत आधार पर भारतीय नागरिक है, तो उसे दो में से एक शर्त पूरी करनी होगी - (अ) उस

3 धारा 3,नागरिकता अधिनियम ,1955

4 धारा 4,नागरिकता अधिनियम,1955

व्यक्ति के लिए विदेश में भारतीय दूतावास या वाणिज्यिक कार्यालय में जन्म के एक वर्ष के अन्दर पंजीकृत होना आवश्यक होगा (जब तक कि भारत सरकार उसे इस प्रावधान से छूट न दे दे,(या (ब) उसका पिता भारत सरकार के अधीन सेवा में रहा हो।यदि वह 10 दिसम्बर 1992 या उसके बाद विदेश में जन्मा हो तब उसके माता या पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। i. यदि उसके पिता या माता में कोई एक भी वंशानुगत आधार पर भारतीय नागरिक है, तो उसे दो में से एक शर्त पूरी करनी होगी - (अ) उस व्यक्ति के लिए विदेश में भारतीय दूतावास या वाणिज्यिक कार्यालय में जन्म के एक वर्ष के अन्दर पंजीकृत होना आवश्यक होगा (जब तक कि भारत सरकार उसे इस प्रावधान से छूट न दे दे,(या (ब) उसके पिता या माता में से कोई एक भारत सरकार के अधीन सेवा में रहा हो।यदि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने की तिथि (3 दिसम्बर 2004) के बाद उसका जन्म विदेश में हुआ तो वह इस प्रावधान के अंतर्गत तब तक नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता जब तकi. (अ) वह व्यक्ति भारतीय वाणिज्यिक दूतावस में जन्म के एक वर्ष के अन्दर निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया के द्वारा पंजीकृत नहीं हो जाता (जब तक कि भारत सरकार उसे इस प्रावधान से छूट न दे दे(। ii. यह पंजीकरण तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके अभिभावक निर्धारित फॉर्म और विधिपूर्वक यह घोषणा न करें कि नाबालिग किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं धारण करता । .iii नाबालिग के वयस्क होने के 6 माह के अन्दर उसे अपनी विदेशी नागरिकता, यदि कोई हो, त्यागना पड़ेगा अन्यथा उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी । कोई भी व्यक्ति जो विदेश में जन्मा हो, और जो संविधान लागू होने के समय अविभाजित भारत का नागरिक था, वह वंशानुगत आधार पर भारत का नागरिक माना जायेगा।

3-. पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता[5] -वे व्यक्ति जो भारत में अवैध रूप में न रह रहें हो उन्हें उनके आवेदन पर, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के साथ, नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है यदि-i. वह भारतीय मूल का है और भारत में 7 वर्षों से रह रहा है, या.ii वह भारतीय मूल का है और अविभाजित भारत में विदेश में रह रहा हो, या.iii वह भारतीय नागरिक से विवाहित हो और आवेदन करने से पूर्व 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो, या iv. वह किसी भारतीय नागरिक का अवयस्क पुत्र/ पुत्री हो, या.vi वह वयस्क हो और उसके मातापिता- में कोई स्वतंत्र भारत में भारतीय नागरिक रहा हो, और आवेदन करने से पूर्व वह 12 महीने से भारत में रह रहा हो, या v. वह वयस्क हो और उसके मातापिता- भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, या vii. कोई वयस्क व्यक्ति जो 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ़ इंडिया कार्ड'होल्डर- (OCI Card holder) के रूप में 5 वर्षों से पंजीकृत हो और आवेदन करने से पूर्व 12 महीने से भारत में रह रहा हो।भारत सरकार इस वर्ग में पंजीकरण के लिए कुछ अन्य शर्तें निर्धारित करती है और विशेष परिस्थितियों में आवेदक को उन प्रावधानों से उन्मुक्तियां भी दे सकती है ।

5 धारा5,नागरिकता अधिनियम,1955

4-. देशीयकरण या नेचुरलाईजेशन द्वारा नागरिकता-कोई वयस्क, जो भारत में अवैध रूप में न रह रहा हो, यदि देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो भारत सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 की 'तीसरी-अनुसूची' में वर्णित शर्तों के पूरा होने पर उसे नागरिकता दे सकती है । यदि भारत सरकार की राय में किसी व्यक्ति ने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शान्ति या मानवविकास- में उल्लेखनीय योगदान किया है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 की 'तीसरी-अनुसूची' में वर्णित शर्तों में से कुछ या सभी से उन्मुक्ति प्रदान कर उसे नागरिकता दी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम 1955 की 'दूसरी-अनुसूची' में दिए प्रारूप में भारत के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करनी होगी।

5. क्षेत्रीय आधिग्रहण द्वारा नागरिकता[6] -. यदि कोई क्षेत्र भारत का अंग बन जाता है, तो भारत सरकार अपने गज़ट में ऐसे लोगों को नागरिक के रूप में अधिसूचित कर सकती है जिनका उस क्षेत्र से सम्बन्ध हो. ऐसे लोग अधिसूचना में इंगित तिथि से भारत के नागरिक होंगे।

भारत में नागरिकता समाप्त के प्रकार- किसी भी भारतीय की नागरिकता तीन तरीके से समाप्त हो सकती है.1. नागरिक द्वारा त्यागने से, या 2. विदेशी नागरिकता प्राप्त करने से, या 3. सरकार द्वारा निरस्त किये जाने से[7]। कोई भी वयस्क नागरिक सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा करके अपनी नागरिकता त्याग सकता है। ऐसा करने पर उसके सभी अवयस्क बच्चों की भी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब वे बच्चे वयस्क होंगे तो एक वर्ष के भीतर निर्धारित प्रारूप और विधि से घोषणा करके - वे पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।यदि कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि किसी नागरिक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण या देशीयकरण के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त की है, या वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं है या किसी युद्ध में गैरकानूनी- ढंग से भारत के शत्रु का साथ दे, या किसी भी देश में दो वर्ष से अधिक जेल की सज़ा पाया हो, या 7 वर्ष से लगातार बिना किसी शैक्षणिक या अन्य वैध कारण के भारत से बाहर रहा हो, तो सरकार द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, पर ऐसा करने से पूर्व सरकार उसे एक जांच समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका देगी और जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ही निर्णय लेगी।

नागरिकता कानून में संशोधन- नागरिकता कानून 1955 में दिसम्बर 2019 तक 9 बार संशोधन हो चुके हैं ,जिसका विवरण निम्नवत है-

6 धारा7,नागरिकता अधिनियम,1955

7 धारा 10,नागरिकता अधिनियम,1955

1. पहला संशोधनः नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1957 -इसके द्वारा नागरिकता कानून की 'प्रथम-अनुसूची' में घाना, मलाया और सिंगापुर को भी शामिल किया गया क्योंकि इस दौरान वे भी 'कॉमनवेल्थ' देशों की सूची में शामिल हो गए थे और उनके नागरिकों को भी पारस्परिकता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया।

2. दूसरा संशोधनः नागरिकता निरसन एवं (संशोधन) अधिनियम 1960 -इसके द्वारा नागरिकता कानून 1955 की धारा 19 को समाप्त किया गया. इसके प्रावधानों के निरसन से सम्बंधित थी।

3. तीसरा संशोधनः नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1985-इस संशोधन के द्वारा असम समझौते के अंतर्गत नागरिकता कानून 1955 में धारा 6A जोड़ी गयी । कुछ प्रतिबंधों के साथ बांग्लादेशी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। इसके अंतर्गत भारतीय मूल के वे लोग जो भारत में 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश में शामिल क्षेत्र से असम आ गए थे और वे भी जिनके नाम 1967 की लोकसभा मतदाता सूची में थे तथा जो तब से भारत में सामान्यतः निवास कर रहे हैं वे 1 जनवरी 1966 से भारत के नागरिक माने जायेंगे। भारतीय मूल के वे लोग जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश में शामिल क्षेत्र से असम आये और तब से सामान्यतः असम में निवास कर रहे हैं तथा विदेशी के रूप में चिन्हित हुए हैं, उनको स्वयं को भारत सरकार द्वारा बनाए नियम के अंतर्गत विदेशी के रूप में पंजीकृत करवाना होगा। यदि उनके नाम किसी भी निर्वाचन सूची में हैं तो उनका नाम उससे काट दिया जाएगा।ऐसे पंजीकृत बांग्लादेशी लोगों को पंजीकरण से 10 वर्ष तक किसी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जायेगा, लेकिन उनको भारत के नागरिकों के अन्य सभी अधिकार (पासपोर्ट प्राप्त करने सहित(एवं दायित्व प्राप्त होंगे। विदेशी के रूप में पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष के बाद वे भारत के पूर्ण नागरिक होंगे ।

4. चौथा संशोधनः नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986-इसके द्वारा नागरिकता कानून 1955 की धारा 3 एवं धारा 5 में संशोधन किया गया। धारा 3 में संशोधन कर 1 जुलाई 1987 या उसके बाद भारत में जन्में किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, यदि उसके जन्म के समय उसके पिता या माता में कोई भी एक भारत का नागरिक होगा। धारा 5 में संशोधन कर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदक के भारत में निवास की अवधि 6 महीने से बढ़ा कर 5 वर्ष कर दी गई । जो व्यक्ति किसी भारतीय से विवाहित है उनके लिए भी निवास की अवधि बढ़ा कर 5 वर्ष कर दी गई।

5. पांचवां संशोधन : नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1992- इसके द्वारा नागरिकता कानून 1955 की धारा 4 में संशोधन किया गया। वर्ष 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को आनुवांशिकता के आधार पर नागरिकता प्रदान की जायेगी, यदि उसके पिता या माता में कोई एक भी भारत का नागरिक होगा। 1992 के पूर्व उसके पिता का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी था।

यह भी प्रावधान किया गया कि माता या पिता में से यदि कोई भी अनुवांशिक आधार पर भारत का नागरिक होगा, तो या तो विदेश में भारतीय दूतावास में उस व्यक्ति का पंजीकरण हो, या उसके माता या पिता में से कोई एक भारत सरकार की सेवा में कार्यरत हो।

6. छठवां संशोधन : नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 - इसके द्वारा नागरिकता कानून 1955 की धारा 3 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के माता और पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, या यदि एक भारत का नागरिक है, तो दूसरे को भारत में गैरकानूनी- ढंग से निवास करते अर्थात अवैधअप्रवासी- नहीं होना चाहिए। वर्ष 2003 में किये गये इसी संशोधन के द्वारा नागरिकता कानून में धारा 14A जोड़ी गयी , जिसके आधार पर भारत के नागरिकों का रजिस्टर बनाना, उनको राष्ट्रीय पहचान- पत्र जारी करना, राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर (एनपीआर) बनाना और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स (एनआरसी) बनाना भारत सरकार के लिए अनिवार्य किया गया था।इसी संशोधन द्वारा विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को 'समुद्र-पारीय भारतीय नागरिक' (Overseas Citizens of India - OCI) की मान्यता भी दी गई और उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई, और उनको भारत आने के लिए 'लम्बी अवधि का वीज़ा' तथा कुछ सीमाओं के साथ भारत में अनेक नागरिक अधिकार प्रदान किये गए । ऐसे समुद्र-पारीय भारतीय नागरिक राष्ट्रपति, उप,राष्ट्रपति- लोकसभा, राज्य सभा, राज्यों की विधानसभाओं या विधान परिषदों के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, न ही मतदाता हो सकेंगे। उनको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का अधिकार न होगा और अनु० 16 के अंतर्गत लोक सेवाओं में समानता का अधिकार न होगा ।

7. सातवां संशोधन : नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2005 -इसी संशोधन द्वारा नागरिकता कानून 1955 से चौथी अनुसूची को हटा दिया गया जिसमें 16 देशों के नाम थे जिनको "निर्दिष्ट देश" (specified countries) के रूप में व्याख्यायित किया गया था।

8. आठवां संशोधन: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2015-इसी संशोधन द्वारा "भारतीय मूल के लोग" (PIO Cardholder) और "समुद्र-पारीय भारतीय नागरिकों" (OCI Cardholder) का अन्तर समाप्त कर दिया गया और दोनों को मिला कर "समुद्र-पारीय भारतीय नागरिक कार्ड"होल्डर- (OCI Cardholder) का एक वर्ग बना दिया गया।

9.नौवां संशोधन : नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019- दिसम्बर 2019 में किये इस संशोधन द्वारा नागरिकता कानून में गैरकानूनी- अप्रवासी की परिभाषा बदल दी गई और पाकिस्तान, बांग्लादेश और

अफ़ग़ानिस्तान से जो हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आये हैं और भारत में निवास कर रहे हैं, उनको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।[8]

निष्कर्ष - केंद्र सरकार का यह निर्णय संविधानसम्मत है, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों में रह रहे अल्पसंख्यकों की दयनीय दशा किसी से छिपी नहीं है। उन्हें भारत में भी यदि शरण नहीं दिया गया तो यह उनके लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा ।भारत की महनीय परंपरा प्राचीन काल से शरणागत वत्सल की रही है । यहां रह रहे लोगों को उनकी निष्ठा के आधार पर नागरिकता का अधिकार मिले, यह अत्यंत सराहनीय है। इससे सरकार की संवेदनशीलता प्रकट होती है। इस संशोधन से भारत में रह रहे किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ,अतः इसके विरोध का कोई औचित्य नहीं है।उपरोक्त संशोधन में तीन राष्ट्रों के मुसलमानों को सम्मिलित न किए जाने से भारत में इसका व्यापक विरोध किया गया । इसमें सम्मिलित न किए जाने के पीछे सरकार का मानना है कि संबंधित तीन राष्ट्रों में मुस्लिम बहुलता है। धर्म के नाम पर उनका इन राष्ट्रों में उत्पीड़न नहीं होता है । फिर भी उक्त तीनों राष्ट्रों से यदि कोई मुस्लिम भारत आना चाहे तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के अंतर्गत उसे भी भारत में नागरिकता दी जा सकती है। इस प्रकार इस संशोधन के विरोध में नासमझी एवं राजनीतिक षड्यंत्र ही प्रतिबिम्बित होता है। असहाय एवं जरूरतमन्द लोगों को आश्रय मिले, उनके भावी संरक्षण हेतु उनको नागरिकता प्रदान की जाए, इसमें कोई दो मत नहीं है, किंतु अवैध प्रवासियों को भी रोका जाना आवश्यक है। सर्वानंद सोनवाल बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है की अवैध प्रवासियों की स्थिति देश पर आक्रमण के समान है इससे आंतरिक अशांति भी उत्पन्न होती है। आक्रमण एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। आक्रमण का अर्थ केवल युद्ध से नहीं है इसमें अन्य कृत्य भी शामिल है। आधुनिक युद्ध केवल दो देशों की सेनाओं के मध्य ही नहीं लड़ा जाता बल्कि उस राष्ट्र की संपूर्ण जनता इसमें सम्मिलित होती है। अवैध नागरिकों का घुसना और देश के अंतर्गत बस जाना, मतदाता बन जाना ,कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना, यह राष्ट्र पर आक्रमण के समान है। केंद्र सरकार को इससे राष्ट्र को बचाना चाहिए। इस अनुक्रम में यह स्पष्ट है कि असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को नागरिकता दी जाए किंतु जिनकी इस राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं है और जो अवैध घुसपैठी हैं, ऐसे लोगों से देश की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए।

सन्दर्भसूची-1.भारत का संविधान ,1950 2.भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955, 3.नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019,4.माई पीपल अपरूटेड ए सागा ऑफ ,हिन्दूज ऑफ ईस्टर्न बंगाल तथागत रॉय - , 5.फॉरगॉटन प्रॉमिस नेहरू ऐड द :बंगालीरिफ्यूजीशुभाजीतघोष-, 6..http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result15.aspx?dbsl=6723.

8 धारा 2,नागरिकता संशोधन अधिनियम ,2019